

phone is provided under IPT Plan 101 and a maximum of 2 telephones can be connected in parallel subject to certain conditions. Plug and Socket arrangement is provided under IPT Plan 102 and a maximum of 4 sockets are permitted. Internal extensions with inter-communication facility is provided under IPT Plan 103 and a maximum of 2 extensions are permitted. External connections with communications facility is provided under IPT Plan 104; only one extension is permitted. Extension without inter-communication facility is provided under IPT Plan 105 and only 1 extension is permitted. These limits applies to official connections provided to the officer of Telephone Department as well.

(b) The Service telephone connections at the residences of the officers of the P & T are permitted to continue in the following cases.

(1) When an officer proceeds on leave and is likely to return to the same station.

(2) When an officer leaves the station on temporary transfer, and

(3) When an officer is deputed by the Department for training or other Departmental work away from the station.

The facility is allowed for a period not exceeding 6 months.

(c) This is being checked and if any non-standard or unapproved facilities are found on residential Service telephones of P & T officers, these will be terminated.

डाकघरों में कटे फटे और खराब नोटों का बदला जाना

760. श्री दयाराम शाक्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार बोर्ड कटे फटे और खराब नोटों को डाकघरों के माध्यम

से बदलने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

संचारद मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद मुखर्जी) : (क) और (ख). डाकघरों में ऐसे करेंसी नोट स्वीकार किए जा रहे हैं जो जरा खराब या थोड़े विकृत हैं। डाकघरों में कटे फटे करेंसी नोट स्वीकार करने या बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धन राशि का भुगतान

761. श्री दयाराम शाक्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के लिए मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धनराशि का भुगतान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि इस बीच वसूल कर ली गई है और उक्त इस्पात संयंत्र ने इतनी बड़ी धनराशि दुर्ग कांग्रेस समिति को किस आधार पर दी थी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही ही है?

इस्पात और खान मंत्री श्री (बीजू पटनायक) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सम्बोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धनराशि दी थी। लेकिन मार्च, 1977